



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-29052026-272926
CG-AS-E-29052026-272926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2595]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2595]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISHTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[(पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)]

अधिसूचना

मालीगांव, 19 मई, 2026

का.आ. 2688(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बिहार राज्य के कॉलम (3) में उल्लिखित जिलों से संबंधित, कॉलम (4) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन हेतु ऐसे प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेगा.

सारणी

क्रम. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला	विशेष रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला भूमि-अधिग्रहण पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार	कुमेदपुर से अलुआबाड़ी के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन (128.783 किमी)
2	जिला भूमि-अधिग्रहण पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज	कुमेदपुर से अलुआबाड़ी के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन (128.783 किमी)

ऊपर दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित परियोजनाओं को, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-एस-ई-15042026-271833 के माध्यम से, विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है।

[फा. सं. NFRCON-HQ/C0ENGG(LAND)/20/2026-DY.CE/CON-III/NJP/NFR]

वी. हौज़ेल, मुख्य इंजीनियर/नि/अभिकल्प

MINISTRY OF RAILWAYS

[(Northeast Frontier Railway)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 19th May, 2026

S.O. 2688(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project in the State of Bihar relating to district mentioned in Column (3) for the Special Railway Projects mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District	Name of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	District Land Acquisition Officer, Katihar	Katihar	3 rd & 4 th Line between Kumedpur to Alubari (128.783 km)
2	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj	3 rd & 4 th Line between Kumedpur to Alubari (128.783 km)

Projects as mentioned in Column (4) of the table above have been declared as special railway project vide Gazette Notification No. CG-AS-E-15042026-271833 dated April 15th, 2026.

[F. No. NFRCON-HQ/C0ENGG(LAND)/20/2026-DY.CE/CON-III/NJP/NFR]

V. HAUZEL, Chief Engineer/Con/Design